

### केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण: वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21

किसी कर कराधान कानून और उसके संचालन का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। सृजित राजस्व की मात्रा का निर्धारण करने वाली मुख्य परिवर्तनशील वस्तुएं सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरें होती हैं। इन दो कारकों को निर्धारित करने वाले उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयताएं' कहा जाता है। ये सरकारी आमदनी पर असर डालते हैं और सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति के बारे में भी बताते हैं।

कर प्रोत्साहन कर वरीयताएं बनाते हैं जिनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव पड़ता है। इसे पसंदीदा करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है और इसे 'कर व्यय' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कर नीति न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त रूप से पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसके लिए कर प्रोत्साहनों का सुव्यक्त निरूपण और विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभिप्रेत आवश्यकता कार्यक्रम की प्लानिंग अपेक्षित होती है। इसके अलावा, पारदर्शी बजट प्रस्तुति के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के तहत राजस्व प्रभावों को शामिल किया जाना अपेक्षित होता है। इस तरह के राजस्व प्रभाव पैदा करने वाले ये कर प्रोत्साहन, कर संविधि के व्यय कार्यक्रमों का अंतर्निहित हिस्सा होते हैं।

वर्तमान विवरण केंद्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों की राजस्व विवक्षाओं का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों की ऐसी के राजस्व विवक्षाएं पहली बार बजट 2006-07 के दौरान पूर्वनिश्चित राजस्व के विवरण के रूप में प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में संसद के समक्ष रखी गई थी। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर रचनात्मक बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को भी बल दिया। इस विवरण का दूसरा संस्करण बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के जरिए और साथ ही, एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में रखा गया जिसका शीर्षक था "पूर्वनिश्चित राजस्व का विवरण" था। उसके बाद, इसे 2008-09 से 2014-15 तक के बजट के दौरान हर साल संसद के समक्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से निरूपित किया गया है, क्योंकि इसमें वास्तव में राजस्व प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। बजट 2015-16 और 2016-17 में, इसे अनुलग्नक-15 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में इसे अनुलग्नक-13 के रूप में था। बजट 2018-19, 2019-20 और 2020-21 और 2021-22 में, यह अनुलग्नक -7 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा था।

पहले की तरह, इस विवरण में कर प्रोत्साहन या कर सब्सिडी के राजस्व प्रभाव को बताने का प्रयास किया गया है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक हिस्सा हैं। अधिकतर "कर वरीयताएं" के संबंध में ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है। ये आकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हैं, जो सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यह निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दाखिल किए गए रिटर्न पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व प्रभाव को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है।

#### कर व्यय का आकलन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया है: -

- (क) प्राक्कलनों और प्रोजेक्शनों का अभिप्राय छूट, कटौती, भारित कटौती और इसी तरह के उपायों को हटाए जाने की दशा में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये प्राक्कलन अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उन्हें यह मानकर तैयार किया जाता है कि ऐसे उपायों को हटाने से अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक एजेंटों का व्यवहार, समग्र आर्थिक गतिविधि या अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर वरीयता को हटाए जाने के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व विवक्षार उस सीमा तक भिन्न हो सकती हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन के प्रभाव का अलग से, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित बने हुए हैं, निर्धारण किया जाता है। हालांकि, कई कर रियायतें एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया क्रिया करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहनों का अंतःक्रियात्मक प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए प्राक्कलनों और प्रोजेक्शनों को जोड़कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि, राजस्व प्रभाव का कर व्यय की दृष्टि से मात्रा-निर्धारण किया गया है, फिर भी, इससे यह परिणाम नहीं निकलता है कि सरकार द्वारा राजस्व की इस मात्रा का अधित्याग किया गया है। बल्कि, इन्हें कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, इस तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित की गई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां वास्तव में शुरू नहीं की गई हो सकती हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में काफी कम पैमाने पर शुरू की गई हो सकती हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों पर हुए कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पूर्वधारणाओं और कार्यपद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर दर्शाई गई हैं।

## प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं के निर्माण रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करता है। लोगों द्वारा बचत किए जाने और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करता है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में त्वरित मूल्यहास भी प्रदान किया जाता है। इनमें से अधिकांश कर लाभ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह विवरण कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र (फर्म, व्यक्तियों का संगम, व्यक्तियों का निकाय आदि); और व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में अलग से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों और फर्मों आदि के लिए समान हैं। हालांकि, व्यक्तियों के मामले में, कुछ अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये केवल उनके प्रति विशिष्ट हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए विवरण विभिन्न लाभ स्लैब में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रगत विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, धर्मार्थ गतिविधियों में लगी संस्थाओं का विवरण भी शीर्षक "धर्मार्थ संस्थाओं" के तहत अलग से दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2020-21 की तरह ही एक असाधारण वर्ष रहा है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी के प्रभाव में रही हैं। आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर विचार करने और करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने की दृष्टि से, निर्धारण वर्ष (एवाई) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नियत तिथि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 था, को शुरू में 2021 के परिपत्र संख्या 9 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक, दिनांक 20 मई, 2021, और फिर गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के साथ-साथ करदाताओं के मामले में 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। जिनके लिए अपनी लेखा-बहियों का ऑडिट कराना अपेक्षित नहीं है और यह तिथि कॉर्पोरेट करदाताओं के साथ-साथ ऐसे करदाताओं के मामले में 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई थी जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत अपनी लेखा-बहियों का ऑडिट करवाना अपेक्षित है। चूंकि करदाताओं की एक बड़ी संख्या के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव, जो लेखापरीक्षा योग्य मामलों और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दायर कॉर्पोरेट संस्थाओं के रिटर्न पर काफी हद तक आधारित है, इस समय समय बिन्दु पर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, 31.05.2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शामिल रिटर्न पर आधारित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव, [आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और (5) के अंतर्गत दाखिल किए गए रिटर्न सहित] इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। इसी तर्ज पर, 2021-22 के लिए प्राप्ति बजट में विवरण, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दाखिल रिटर्न पर आधारित था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्राक्कलन के रूप में औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हिसाब में लेकर लगाया गया है।

## क. कॉर्पोरेट क्षेत्र

बड़े व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होते हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 [अर्थात् आकलन वर्ष 2020-21] के लिए 31 मई, 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 917,494 कॉर्पोरेट रिटर्न प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह अपनी आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी आय के लिए 4,01,778.77 करोड़ रुपये [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] की कॉर्पोरेट कर देयता की सूचना दी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान देय लाभांश वितरण कर<sup>1</sup> के रूप में 51,243.03 करोड़ रुपये की भी सूचना दी। उन्होंने शेयरों के बॉय-बैक पर टैक्स के रूप में 1,191.94 करोड़ रुपये की भी सूचना दी।

कर व्यय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इन 917,494 कंपनियों से संबंधित डेटा को विश्लेषण के लिए डेटाबेस से लिया गया था और इस विवरण के तालिका 1 से 5 और परिशिष्ट में वर्णित है। **तालिका 1** इन कंपनियों को लाभ श्रेणियों में दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-

- 4,34,051 कंपनियों (47.31 प्रतिशत) ने 17,82,881 करोड़ रुपये कर-पूर्व लाभ और कुल आय<sup>2</sup> (कर योग्य आय) के रूप में 13,40,392.03 करोड़ रुपये की सूचना दी है।
- 4,46,358 कंपनियों (48.65 प्रतिशत) ने 11,73,485.60 करोड़ रु. की हानि की सूचना दी है।
- 37,085 कंपनियों (4.04 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की सूचना दी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर दर<sup>3</sup> 22.54 प्रतिशत थी [जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में रिपोर्ट की गई दर 27.81 प्रतिशत] थी, वही एक करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत,

<sup>1</sup> वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से, लाभांश वितरण कर बंद कर दिया गया है और 01 अप्रैल, 2020 से, लाभांश शेयरधारकों पर कर लगाया जा रहा है।

<sup>2</sup> आयकर विवरणियों में "कुल आय" शब्द कर योग्य आय जैसा कि सामान्य संदर्भ में इंगित होगा।

<sup>3</sup> कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व (पीबीटी) कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को छोड़ते हुए) लाभों का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 115बीए के तहत नई रियायती कर व्यवस्था (कटौती और छूट के बिना न्यूनतर कर दर) का विकल्प चुना, वैधानिक कर की दर 25.17 प्रतिशत थी। 500 करोड़ रु और उससे अधिक के कर-पूर्व लाभ वाली कंपनियां (इसके बाद पीबीटी), का कुल पीबीटी में हिस्सा 58.46 प्रतिशत और कुल कॉर्पोरेट आयकर देयता का कुल 52.37 प्रतिशत था। लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार के लिए 22.54 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 27.81 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है। प्रभावी कर दर में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि उच्च लाभ वाली कंपनियों की एक बड़ी संख्या ने धारा 115बीए के तहत मौजूदा कंपनियों के लिए प्रदान की गई नई कर व्यवस्था को चुन लिया है।

500 करोड़ रुपये से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की प्रभावी कर दर 20.19 प्रतिशत है, जो उन सभी कंपनियों की तुलना में कम है, जिनका कर-पूर्व लाभ 500 करोड़ रुपये से कम है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बड़ी कंपनियां उच्च कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं या 22 प्रतिशत के साथ उपकर और अधिभार की न्यूनतर कर दर की नई व्यवस्था में को चुन लिया है। छोटी कंपनियों में कुल आय और पीबीटी के उच्च अनुपात से इसकी पुष्टि होती है। 0-1 करोड़ रुपये की रेंज में पीबीटी देने वाली कंपनियों के मामले में यह अनुपात 94.02 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रुपये से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में यह 69.05 प्रतिशत है। कम अनुपात इंगित करता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं।

**तालिका 1: कर-पूर्व लाभ की श्रेणी में कंपनियों की प्रोफाइल  
(वित्तीय वर्ष 2019-20) (कंपनियों की संख्या - 9,17,494)**

क्र.सं.	कर-पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कॉर्पोरेट आय-कर देयता में हिस्सा (% में)	कुल आय का कर-पूर्व लाभ से अनुपात (में %)	कर का कुल आय से अनुपात (में %)	प्रभावी कर दर (% में) (कर के प्रति लाभ का अनुपात)
1	शून्य से कम	4,46,358	0.00	1.51	1.57	0.00	27.79	0.00
2	शून्य	37,085	0.00	9.59	3.87	0.00	10.75	0.00
3	0-1 करोड़ रुपये	3,81,032	2.62	2.91	2.91	94.02	26.71	25.11
4	1-10 करोड़ रुपये	41,872	7.14	7.48	7.55	88.56	26.91	23.83
5	10-50 करोड़ रुपये	7,913	9.52	9.55	9.84	84.77	27.47	23.28
6	50-100 करोड़ रुपये	1,391	5.52	5.21	5.38	79.79	27.55	21.98
7	100-500 करोड़ रुपये	1,410	16.74	16.03	16.50	80.98	27.43	22.21
8	500 करोड़ रुपये से अधिक	433	58.46	47.73	52.37	69.05	29.23	20.19
<b>सभी कंपनियां</b>		<b>9,17,494</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84.57</b>	<b>26.65</b>	<b>22.54</b>

**तालिका 2** प्रभावी कर दरों के बीच कंपनियों का प्रतिदर्श बताती है। यह ध्यान दिया जाए है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 5,77,093 कंपनियों ने कर-पूर्व कुल लाभ का 36.95 प्रतिशत, कुल कर-योग्य आय का 14.84 प्रतिशत और कुल करों का 19.2 प्रतिशत हिस्सा लिया। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में कंपनियों (5, 77,093 यानी 62.90 प्रतिशत) ने अपने मुनाफे के प्रति में करों के रूप में अनुपातहीन रूप से कम राशि का योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि 48,858 कंपनियों ने कुल लाभ का 6.90 प्रतिशत और कुल करों का 15.62 प्रतिशत हिस्सा लिया, जिनकी प्रभावी कर दर 34.58 प्रतिशत की औसत वैधानिक दर के करीब थी। इससे पता चलता है कि कंपनियों में कर देयता असमान रूप से वितरित हुई है। यह मुख्य रूप से क्रानून में विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

**तालिका 2: प्रभावी कर दरों की श्रेणी में कंपनियों का प्रोफाइल\***  
(वित्तीय वर्ष 2019-20) [कंपनियों की संख्या - 9,17,494]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कंपनियों की सं.	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (%में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कर देयता में हिस्सा (% में)
1	शून्य और शून्य से कम	4,78,779	7.92	1.67	1.64
2	0-20	98,314	29.03	13.17	17.56
3	20-25	46,109	22.63	25.15	23.89
4	25-30	1,82,772	28.38	38.15	34.93
5	30-33	25,577	5.13	6.74	6.37
6	>33	48,858	6.90	15.12	15.62
7	अनिर्धारित (पीबीटी = 0)	37,085	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>		<b>9,17,494</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

**तालिका 3** निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक कंपनियों (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) की प्रभावी कर दर की तुलना करती है। जबकि प्रभावी दर दोनों श्रेणियों के लिए वैधानिक दर से कम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में भुगतान करती हैं।

**तालिका 3: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर\***  
(वित्तीय वर्ष 2019-20) [कंपनियों की संख्या - 9,17,494]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात तक]
1	सार्वजनिक #	206	15.94	12.97	18.33
2	निजी	9,17,288	84.06	87.03	23.33
<b>सभी कंपनियां</b>		<b>9,17,494</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>22.54</b>

\* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

# निर्धारित कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में) द्वारा अपने संबंधित रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर।

**तालिका 4** कंपनियों के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना दर्शाती है। गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में 22.83 प्रतिशत की उच्च प्रभावी कर दर है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में यह 21.95 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावी कर दर है जो औसत वैधानिक दर 34.58 प्रतिशत से काफी कम है।

**तालिका 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर\***  
(वित्तीय वर्ष 2019-20) [कंपनियों की संख्या- 9,17,494]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) [कर के प्रति लाभ का अनुपात]
1	सार्वजनिक #	206	15.94	12.97	18.33
2	निजी	9,17,288	84.06	87.03	23.33
सभी कंपनियां		9,17,494	100	100	22.54

\* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

**तालिका 5** वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय का विवरण देती है। विश्लेषण 31 मई, 2021 तक दायर कॉर्पोरेट रिटर्न पर आधारित है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दायर सभी रिटर्न शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना प्रत्येक कटौती की राशि पर भारित औसत वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर 34.59 प्रतिशत<sup>4</sup> लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास, कटौती/भारित कटौती के राजस्व प्रभाव की गणना पहले कंपनियों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। तत्पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.59 प्रतिशत की भारित औसत कॉर्पोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक अन्य पहलू कर आस्थगन है। टैक्स डिफरल तब होता है जब करदाता, कर कानून के तहत उच्च कटौती की अनुमति के कारण कम समय अवधि में कटौती के रूप में एक भत्ते (जैसे मूल्यहास भत्ता) का दावा करके अपनी कर देयता को स्थगित करने में सक्षम होता है, जबकि वह एक ही मूल्यहास दावा फैला सकता है कई वर्षों में अपने खातों में। चूंकि मूल्यहास में नकद व्यय नहीं होता है, यह एक कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर कानून के तहत कंपनियों पर एमएटी (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, बुक प्रॉफिट पर उप कर और सरचार्ज सहित 18.5 प्रतिशत की दर से) कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए। इसके शेयरधारकों को होने वाले लाभ पर (कुछ समायोजन के अधीन) पर लगता है, यदि यह देयता सामान्य दरों पर गणना की गई कर देयता से अधिक है। एमएटी के कारण अतिरिक्त देयता को बाद के वर्षों में क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में अनुमति दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता एमएटी देयता से अधिक होती है। इसलिए, एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर, भविष्य की कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यहास के दावों के कारण करों के आस्थगन की अवधि को प्रतिबंधित करता है और अन्य कटौतियों जैसे कि लाभ से जुड़ी कटौतियों को के राजस्व प्रभावों में लंबी समयावधि में उसी दावे का विस्तार करके कम करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 9.75% की गई थी।

**तालिका 5** वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है।

**तालिका 5: कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव**  
(वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21) [कंपनियों की संख्या - 9,17,494]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव	अनुमानित राजस्व प्रभाव
		(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
		[2019-20]	[2020-21]
1	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	21,562.47	23,664.81
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	35,418.38	38,871.67
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख))	6,354.63	6,974.21
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	2,305.60	2,530.40

<sup>4</sup> एक करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत थी।

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	4,193.83	4,602.73
6	राजनीतिक दलों को योगदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	1,159.91	1273.01
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	4,967.76	5,452.12
8	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	401.18	440.30
9	दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	2.12	2.33
10	बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	15,607.96	17,129.74
11	बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	80.85	88.73
12	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती	924.87	1,015.04
13	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80- झख)	18.33	20.12
14	जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	6.53	7.17
15	खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	696.19	764.07
16	आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80- झख)	11.08	12.16
17	कोल्ड चैन सुविधा के संचालन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	2.97	3.26
18	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	17.33	19.02
19	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	183.10	200.95
20	ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	2.43	2.67
21	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80- झखक)	209.49	229.92
22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	1,328.65	1,458.19
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	3,248.36	3,565.08
24	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	372.86	409.21
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	91.96	100.93
26	बायो-डिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जक)	6.91	7.58
27	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जकक)	1,921.84	2,109.22
28	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती(धारा 80-ठक)	304.95	334.68
	कुल	1,01,402.54	1,11,289.29
	घटाएं: एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता	25,810.85	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट द्वारा घटाया गया	18,518.14	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	7,292.71	8,003.75
	कुल परित्यक्त राजस्व	94,109.83	1,03,285.54

जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) पिछले वर्ष के विवरण में 1,16,260.68 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। अब इसकी गणना वास्तव में 1,01,402.54 करोड़ रुपये की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए, एमएटी के परिणामस्वरूप एकत्र किए गए अतिरिक्त कर, कर प्रोत्साहनों का वास्तविक राजस्व प्रभाव पिछले वर्ष के विवरण में अनुमानित 99,842.06 करोड़ रुपये के कर व्यय के सापेक्ष थोड़ा कम 94,109.83 करोड़ रुपये से है। त्वरित मूल्यहास वह शीर्ष है जिसके तहत कर प्रोत्साहन की उच्चतम राशि (35,418.38 करोड़ रुपये) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, एसईजेड में स्थित इकाइयों द्वारा प्राप्त कटौती (क्रम संख्या 1), बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रम (क्रम संख्या 10), बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों (क्रम संख्या 7)), निर्दिष्ट व्यवसाय (क्रम सं. 4) और वैज्ञानिक अनुसंधान पर कटौतियाँ (क्रम सं. 3) कुल कर प्रोत्साहन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। वित्त वर्ष 2018-19 (2,473.46 करोड़ रुपये) की तुलना में 2019-20 (4193.83 करोड़ रुपये) में धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों को दान के कारण कटौती में वृद्धि हुई है। क्योंकि इसमें अगले वित्तीय वर्ष में एक निर्दिष्ट तिथि तक किए गए दान भी शामिल हैं, जिसे वित्त वर्ष 2019-20 में कोविड -19 महामारी के कारण अनुमति दी गई थी।

कंपनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में तालिका में दिया गया है। निचली सीमा पर, कठोर कोयले के खनन और ढेर के लिए प्रभावी कर की दर 17.80 प्रतिशत है। इसी तरह, इस्पात उत्पादों के निर्माण और बिजली के उत्पादन, संग्रह और वितरण में भी क्रमशः 11.87 और 14.37 प्रतिशत की कम कर दर है जो प्रभावी कर दर से कम है। कुछ अन्य क्षेत्र जिनमें प्रभावी कर दरों की तुलना में कम कर दरें हैं, वे हैं पट्टे पर दी गई इमारतों (आवासीय और गैर-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराए पर देना (8.44 प्रतिशत), हवाई परिवहन (5.60 प्रतिशत), अन्य कृषि, पशुपालन और वानिकी (12.78 प्रतिशत), अन्य आवश्यक वस्तु सेवाएं (11.43 प्रतिशत)।

इसके अलावा कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने, नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास में, धारा 115खकक और 115खकक को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 (टीएलएए) के माध्यम से अधिनियम में डाला गया था। यह मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर दर और नई निर्गमित घरेलू कंपनियों के लिए 15% की रियायती कर दर प्रदान करता है, जो इस तरह की वस्तु के निर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण या निर्मित वस्तु के लिए 31 मार्च, 2023 तक नया निवेश करती हैं। यह रियायत कुछ शर्तों के अधीन है जिसमें वे किसी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं शर्त शामिल है। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती कराधान व्यवस्था का चयन करने वाली घरेलू कंपनियों को किसी भी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस रियायती कर प्रोत्साहन के प्रभाव के (तालिका 5.1 में किए गए) विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कॉर्पोरेट रिटर्न में से 1,45,448 ने धारा 115बीएए के तहत रियायती कर की दर का विकल्प चुना है, जिसमें 933429.91 करोड़ रुपये कुल आय शामिल है और 1,244 ने अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत विकल्प लिया है, जिसमें कुल आय 35.13 करोड़ शामिल है। इस प्रकार, कुल आय का 62.01% वाली 15.85% कंपनियों ने धारा 115बीएए के तहत नई कर योजना का विकल्प चुना है और 0.14% कंपनियों ने अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत लाभ लेने का विकल्प चुना है। यह कंपनियों द्वारा नई रियायती कर व्यवस्था को अपनाने की दिशा में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है और साथ ही कटौती और छूट व्यवस्था से दूर हो जाता है।

**तालिका 5.1: रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाली कंपनियों और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कंपनियों की तुलना (वित्तीय वर्ष 2019-20)**

कुल आय के स्लैब (करोड़ में)	कंपनियों की संख्या (115बीएए के तहत)	कंपनियों की संख्या (115बीएबी के तहत)	कंपनियों की संख्या (पहले की कर दर 30% जमा अधिभार और उपकर के तहत)	कुल आय (115बीएए के तहत) (करोड़ में)	कुल आय (115बीएबी के तहत) (करोड़ में)	कुल आय (पहले की टैक्स दर 30% जमा सरचार्ज और उपकर के तहत) (करोड़ में)
शून्य और शून्य से कम	44067	981	483002	-	-	-
0-1	74948	256	248934	13,792.48	24.69	28,561.38
1-10	19,642	7	19,400	63,106.44	10.44	57,498.13
10-50	4,742	-	3,060	1,04,060.15	-	64,506.88
50-100	849	-	463	59,812.06	-	32,727.46
100-500	954	-	440	201,569.09	-	92,647.91
>500	246	-	130	4,91,089.68	-	2,95,778.13
<b>कुल</b>	<b>1,45,448</b>	<b>1,244</b>	<b>7,55,429</b>	<b>9,33,429.91</b>	<b>35.13</b>	<b>5,71,719.89</b>

**ख. गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र [फर्म/एओपी/बीओआई आदि]**

कॉर्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय को साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ [एओपी] या व्यक्तियों के निकाय [बीओआई] के रूप में भी संगठित किया जाता है। इन पर कर व्यय उतना बढ़ा नहीं है जितना कि कंपनियों के मामले में है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-2020 की आय के लिए 31 मई, 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल 15,79,898 रिटर्न प्राप्त हुए हैं। कर व्यय की गणना के उद्देश्य से, इन 15, 79,898 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित आंकड़ों को डेटाबेस से निकाला गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए: -

- संपूर्ण फर्मों/एओपी/बीओआई ने 2,32,804.18 करोड़ रु. करों से पहले लाभ के रूप में और 2, 12,143.26 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। लगभग 3,07,035 रिटर्न से नुकसान दर्ज किया गया जो कुल का 19.43 प्रतिशत है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देय आयकर के रूप में [अधिभार और उपकर सहित] 64,269.81 करोड़ रुपये दर्ज किए हैं।

प्रत्येक कटौती की राशि पर फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना 33.72 प्रतिशत की आय कर दर (एक करोड़ से कम आय वाली फर्मों के लिए भारित औसत दर की गणना 31.20 प्रतिशत की दर से एक करोड़ से अधिक आय वाली फर्मों के लिए प्रत्येक कर दर स्लैब में आने वाले देय सकल कर के साथ) 34.94 प्रतिशत की दर से की जाती है) को लागू करके की गई है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय कटौती; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती की गणना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। इसके बाद, प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 33.72 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके 2020-21 के लिए अनुमान लगाया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 9.75% की गई थी।

**तालिका 6** वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के संदर्भ में गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों में कटौती के कारण जारी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 54.27 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्रभाव का 55.48 प्रतिशत है। त्वरित मूल्यहास और एसईजेड (धारा 10ए के तहत) में स्थापित इकाइयों के कारण कर व्यय, छोड़े गए कुल राजस्व का क्रमशः 8.17 प्रतिशत और 14.31 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र, यानी फर्मों/एओपी/बीओआई के लिए कुल कर व्यय 8,043.07 करोड़ रु. होगा।

**तालिका 6: गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव [फर्म/एओपी/बीओआई] वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव	अनुमानित राजस्व प्रभाव
		(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
		[2019-20]	[2020-21]
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	1,151.30	1,263.55
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	656.80	720.84
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख))	16.56	18.17
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	41.73	45.80
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	154.70	169.78
6	राजनीतिक दलों को योगदान पर कटौती (धारा 80छछग)	42.50	46.64

7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	168.12	184.51
8	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	42.03	46.13
9	विद्युत सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80- झक)	391.08	429.21
10	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर छूट (धारा 80- झक)	3.46	3.80
11	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट	225.06	247.00
12	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (80-झख)	4.57	5.02
13	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ पर छूट (धारा 80-झख)	58.31	64.00
14	कोल्ड चैन सुविधा के संचालन से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ पर छूट (धारा 80-झख)	0.57	0.63
15	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेवित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	7.22	7.92
16	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-झख)	47.01	51.59
17	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफा की कटौती (धारा 80-झखक)	263.13	288.79
18	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	190.53	209.11
19	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	25.35	27.82
20	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	26.83	29.45
21	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	14.97	16.43
22	जैविक कूड़े के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	10.70	11.47
23	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जककक)	36.87	40.46
24	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आयों के संबंध में कटौती (धारा 80-ठक)	0.85	0.93
25	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80त)	4,462.82	4,897.94
<b>कुल</b>		<b>8,043.07</b>	<b>8,827.27</b>

#### ग. व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम का अध्याय VI-क मुख्य रूप से कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आयों पर कटौती प्रदान करता है। व्यक्ति/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास कई प्रकार की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति करदाता अपनी आय मुख्य रूप से वेतन से प्राप्त करते हैं, लाभ से जुड़ी कटौतियों [अर्थात् कतिपय व्यावसायिक आय पर कटौती] पर उनके द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वैतनिक व्यक्तियों का समूह दोनों प्रकार की कटौती का दावा करता है। व्यक्ति करदाताओं को दिए गए कर प्रोत्साहन तालिका 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव की गणना 31 मई, 2021 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई **6,30,85,608** विवरणियों में कर विकल्पों के लिए विभिन्न दावों के आधार पर की गई है। भौतिक विवरणियों के छोटे हिस्से को ध्यान में रखने के लिए छोड़े गए कुल राजस्व में 2% की वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद

की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर 9.75% आंकी गई थी।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय की गणना के लिए वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है, अर्थात्: -

- (i) वित्त अधिनियम, 2019 के अंतर्गत धारा 87क के अंतर्गत छूट की अधिकतम राशि की सीमा को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये करना।
- (ii) वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के तहत उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टियों के लिए अधिशुल्क में वृद्धि-
  - 50 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 10% का अधिशुल्क देना होगा,
  - 1 करोड़ से अधिक लेकिन 2 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 15% का अधिभार देना होगा,
  - 2 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 25% का अधिशुल्क देना होगा, और
  - 5 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 37% का अधिशुल्क देना होगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (एवाई 2020-21) के लिए दायर कुल 6, 30,85,608 आय विवरणी के आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

- (i) उच्च बुनियादी छूट सीमा के प्रभाव, (तालिका 7 की क्रम संख्या 26 और 27), की गणना प्रति वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक पर कर व्यय को उनकी संबंधित संख्याओं से गुणा करके की गई है। इन विवरणियों के आंकड़ों के मुताबिक, 11.33 प्रतिशत विवरणियों वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और 0.71 फीसदी विवरणियों अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फाइल किया गया। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव की गणना को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की गई है और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को लागू करते हुए परिकलित किया गया है।
- (ii) व्यष्टियों के मामले में, अधिनियम की धारा 80ग के अनुसार कुछ लिखतों में निवेश के लिए कटौती के दावे के कारण अधिकतम कर व्यय होता है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय धारा 87क के तहत छूट के कारण रु. 26,609.76 करोड़ की राशि होती है

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, तालिका 7 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के लिए, कर व्यय के संदर्भ में, व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

**तालिका 7: व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]
1	कुछ निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	80,456.51	88,301.02
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	294.26	322.95
3	नई पेंशन योजना में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	6,169.75	6,771.30
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	5,466.95	5,999.98
6	दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	825.84	906.36
7	विशिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	1,054.52	1,157.33
8	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	935.90	1,027.15
9	रिहायशी आवास संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	289.57	317.80
10	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दिए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,177.84	1,292.68
11	आवास मकान के लिए भुगतान प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,815.30	1,992.30

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]
12	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	11.85	13.00
13	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	544.53	597.62
14	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली निर्माण और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कार्य में उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	84.49	92.73
15	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80-झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती	0.05	0.05
16	आवास परियोजनाओं से लाभ और मुनाफा की कटौती (धारा 80-झखक)	96.66	106.08
17	आवास परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय और जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80-झख)	19.78	21.71
18	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	34.16	37.49
19	जैविक कूड़े कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जक)	5.08	5.57
20	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जकक)	11.87	13.02
21	पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	10.94	12.01
22	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.49	0.54
23	बचत खाते पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	1,371.39	1,505.10
24	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	518.74	569.32
25	धारा 87 क के अंतर्गत छूट	26,610	29,204.48
26	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	1858.09	2,039.25
27	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	579.14	635.61
	कुल	155,429.45	1,70,583.82

व्यक्ति करदाताओं के मामले में विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी और बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत आते हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना का राजस्व प्रभाव सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती और नई पेंशन योजना का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के संबंध में अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झक और धारा 80-झग के कारण है।

#### घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा वित्त पोषित धर्मार्थ प्रकृति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में संलग्न निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों को आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 मई, 2021 तक ऐसे निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 2,24,839 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निकायों द्वारा प्रयुक्त कुल राशि 7,86,379.33 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट

पूरे उद्योग में कंपनियों की प्रभावी कर दर, अधिभार और शिक्षा उपकर सहित (वित्तीय वर्ष 2019-20) (कंपनियों की संख्या - 9, 17,494)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	कुल कर (रुपये करोड़ में)	प्रभावी कर की दर (% में)
1	कृषि, पशु पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	4922	1153.59	233.48	20.24
2	कृषि, पशुपालन और वानिकी	मुर्गी पालन और अंडे का उत्पादन	631	496.35	124.78	25.14
3	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय का उत्पादन और विनिर्माण	1110	877.61	188.79	21.51
4	कृषि, पशुपालन और वानिकी	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	8359	2835.8	362.3	12.78
5	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन	283	54.14	13.49	24.91
6	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजे पानी की मात्स्यिकी, हैचरी और मत्स्य पालन से संबंधित सेवाएं	93	23.78	5.82	24.49
7	मत्स्य पालन	अन्य	388	192.2	48.3	25.12
8	खनन और उत्खनन	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कर्षण	136	23,923.12	10,163.04	42.48
9	खनन और उत्खनन	कठोर कोयले का खनन और संचय	163	37,955.08	6,755.72	17.80
10	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क के अतिरिक्त अलौह धातु अयस्कों का खनन	49	8,668.44	2,107.77	24.32
11	खनन और उत्खनन	लौह अयस्क का खनन	220	7,017.83	1,731.27	24.67
12	खनन और उत्खनन	अन्य	3,639	6490.98	1849.28	28.49
13	उत्पादन	परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	337	47,115.12	7540.81	16.01
14	उत्पादन	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का निर्माण	6042	69,524.51	13,492.73	21.41
15	उत्पादन	मोटर वाहनों का निर्माण	389	32,754.08	8,478.18	26.82
16	उत्पादन	मोटर वाहन और इंजन के पुर्जे और सहायक उपकरण का निर्माण	3,203	24,410.24	5918.90	24.25
17	उत्पादन	इस्पात उत्पादों का निर्माण	3,975	47,563.70	5645.50	11.87
18	उत्पादन	अन्य रासायनिक उत्पादों का निर्माण	3,902	28,931.38	7084.95	24.49
19	उत्पादन	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	337	21,355.79	7084.95	23.70
20	उत्पादन	वस्त्रों का निर्माण (हथकरघा के अलावा)	8,732	16,294.99	3552.69	21.80
21	उत्पादन	विद्युत मशीनरी और उपकरण का निर्माण	2,260	12404.04	2035.61	16.41
22	उत्पादन	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का निर्माण	680	19439.07	3941.50	20.28
23	उत्पादन	अन्य खाद्य उत्पादों का निर्माण	3,908	17924.58	4443.11	24.79
24	उत्पादन	रेडियो, टेलीविजन, संचार सामग्री और उपकरण का निर्माण	267	5444.55	1623.130	29.81
25	उत्पादन	साबुन और डिटरजेंट का निर्माण	298	1585.03	392.74	24.78

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	कुल कर (रुपये करोड़ में)	प्रभावी कर की दर (% में)
26	उत्पादन	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण	1,034	7874.98	1353.13	17.18
27	उत्पादन	रबर उत्पादों का निर्माण	1,116	6489.91	1609.52	24.80
28	उत्पादन	पेंट, वार्निश और समान कोटिंग्स का निर्माण	730	6587.98	1659.47	25.19
29	उत्पादन	प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	3,126	5546.69	1391.45	25.19
30	उत्पादन	कागज और कागज उत्पादों का निर्माण	2,581	5788.62	1399.36	24.17
31	उत्पादन	इंजन और टर्बाइन का निर्माण	214	2990.30	766.04	25.62
32	उत्पादन	गैस-वर्गीकृत सहित अन्य	93,778	2,16,800.9	51,889.9	23.93
33	विद्युत, गैस और जल	विद्युत का उत्पादन, संग्रह और वितरण	5,021	76,496.05	11,269.56	14.37
34	विद्युत, गैस और जल	गैस का निर्माण और वितरण	273	11,646.41	2,521.70	21.65
35	विद्युत, गैस और जल	जल का संग्रह, शुद्धिकरण और वितरण	149	107.53	24.79	23.06
36	विद्युत, गैस और जल	अन्य आवश्यक वस्तु सेवा एन.ई.सी	2,183	944.78	107.99	11.43
37	निर्माण	सड़कों, रेल, पुल, सुरंग, बंदरगाह, बंदरगाह, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव	5,041	28898.36	6035.83	20.89
38	निर्माण	पूर्ण निर्माण या पाटर्स सिविल ठेकेदार का भवन	18,525	13938.12	3161.09	22.68
39	निर्माण	गैस-वर्गीकृत सहित अन्य	48,138	30755.7	7194.1	22.27
40	रियल एस्टेट एवं रेंटल सेवाएं	लॉट में अचल संपत्ति का विकास और उप-विभाजन	9239	5401.40	1155.61	21.39
41	रियल एस्टेट एवं रेंटल सेवाएं	स्व-स्वामित्व भवन (आवासीय और गैस-आवासीय) वाली अचल संपत्ति का संचालन	3444	5579.40	1104.71	19.80
42	रियल एस्टेट और रेंटल सेवाएं	पट्टे पर दिए गए भवनों (आवासीय और गैस-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराये पर देना	6,001	8661.29	730.93	8.44
43	रियल एस्टेट और रेंटल सेवाएं	अनुबंध के आधार पर या शुल्क पर रियल एस्टेट गतिविधियां	6,117	1597.91	388.27	24.30
44	रियल एस्टेट और रेंटल सेवाएं	अन्य रियल एस्टेट/रेंटल सेवाएं एन.ई.सी.	36,608	17313.97	2587.91	14.95
45	मशीनरी का किराया	मशीनरी का किराया	2116	815.24	171.58	21.05
46	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर के पुर्जे और सहायक उपकरण की थोक और खुदरा बिक्री	1,354	911.46	242.01	26.55
47	थोक एवं खुदरा व्यापार	थोक में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और उपकरण	3,216	4594.08	1172.52	25.52
48	थोक एवं खुदरा व्यापार	कपड़ा, परिधान, जूते, चमड़े की वस्तुओं की खुदरा बिक्री	5,174	3439.99	962.38	27.98
49	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	,3,417	2398.85	543.83	22.67
50	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति का थोक	2,717	2014.49	551.41	27.37
51	थोक एवं खुदरा व्यापार	गैस-वर्गीकृत सहित अन्य	1,54,773	74,116.6	16,342.4	22.05
52	होटल, रेस्टोरेंट एवं आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाएं	19,313	6,889.71	1,526.97	22.16

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	कुल कर (रुपये करोड़ में)	प्रभावी कर की दर (% में)
53	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं	हवाई परिवहन	389	1326.73	74.26	5.60
54	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं	सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन	3,874	2774.45	679.38	24.49
55	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	16,697	16,529.5	3995.2	24.17
56	डाक एवं दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	2,534	32,564.77	5,062.30	15.55
57	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और बट्टा घर	320	1,36,232.15	37,320.40	27.39
58	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ	2,295	30,489.37	7,301.478	23.95
59	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवासीय वित्त गतिविधियाँ	187	31469.51	4800.46	15.25
60	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	46,992	1,96,055.79	40,823.93	20.82
61	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं	22,890	155199.93	35978.60	23.18
62	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी सक्षम सेवाएं	22,572	50717.52	12970.24	25.57
63	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,361	6434.07	1763.35	27.41
64	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	15,235	9,711.94	2,459.01	25.32
65	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,730	1,349.69	310.37	23.00
66	व्यवसाय	इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श	4,219	6,203.28	1,831.98	29.53
67	व्यवसाय	व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियाँ	6,863	4,360.78	1083.15	24.84
68	व्यवसाय	विज्ञापन	2,423	1640.50	384.60	23.44
69	व्यवसाय	वास्तुकला व्यवसाय	1009	261.91	70.57	26.94
70	व्यवसाय	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	22,943	4312.00	1138.79	26.41
71	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग सेंटर और ट्यूशन	2,857	808.07	200.26	24.78
72	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	616	261.08	59.95	22.96
73	शिक्षा सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	8,055	1659.95	443.03	26.69
74	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,966	4158.73	1032.90	24.84
75	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	निदान केंद्र	1,468	1239.66	325.30	26.24
76	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	3,068	991.50	282.32	28.47
77	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	2,160	1595.43	368.58	23.10
78	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	8,112	2,103.72	548.68	26.09
79	सामाजिक समुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	2,756	114.34	27.38	23.95
80	संस्कृति और खेल	टेलीविजन चैनल प्रसारण	484	5,616.93	1,718.13	30.59
81	संस्कृति और खेल	मोशन पिक्चर प्रोडक्शन	1,363	1876.19	239.80	12.78
82	संस्कृति और खेल	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	4,737	3,127.54	7,92.16	28.71
83	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	2,14,547	88,655.28	25,336.26	28.58
84	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	51	2.84	0.79	27.94
<b>कुल</b>			<b>9,17,494</b>	<b>17,82,881.23</b>	<b>4,01,778.77</b>	<b>22.54</b>

एन.ई.सी. कहीं और वर्गीकृत नहीं।

### 2020-21 और 2021-22 (अनुमानित) की अवधि के लिए सीमा शुल्क के लिए कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव का विवरण

वस्तुओं पर सीमा शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सामान्यतया इसे बुनियादी सीमा शुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाता है। कतिपय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क भी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

2.1 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यक्ति टैरिफ लाइनों के सामने विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्य रूप से “टैरिफ दरें” कहा जाता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जो विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है), केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। छूट संबंधी ऐसी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों को “प्रभावी दरें” कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- (i) सशर्त छूट की अधिसूचनाएं; और
- (ii) बिना शर्त छूट की अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त छूटों में वस्तु के लिए सामान्य प्रभावी शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। यह दर उस वस्तु के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी बिना शर्त प्रभावी छूट वस्तु के लिए एमएफएन दर निर्धारित करती है।

2.4 दूसरी ओर सशर्त छूट, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उच्चतर टैरिफ दर या एमएफएन दर की तुलना में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए होती हैं, उदाहरण के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने, रक्षा संबंधी खरीद आदि। ऐसे मामलों में केवल वैसे आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होते हैं। इस प्रकार इन छूटों के परिणामस्वरूप संगत टैरिफ/एमएफएन दर की तुलना में राजस्व परित्यक्त करना होता है।

2.5 निर्यात योजनाओं के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात: कच्ची सामग्री और निविष्टियों की खरीद के लिए कतिपय छूटें दी गई हैं जो निर्यात माल में दी जाती हैं। इस प्रकार केवल इन छूटों से निर्यातों के शून्य दर वाले निर्यात के लिए निर्यात कर निष्प्रभावी होता है। चूंकि इन रियायतों का लक्ष्य निर्यातों का शून्य दर निर्धारण होता है, बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण इसके परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता है।

2.6 स्क्रिप मार्ग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निर्यात से जुड़ी माफी या प्रोत्साहन: कुछेक योजनाएं ऐसी हैं जिनमें निर्यातकों को छूट अथवा प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है। निर्यात बाकी वस्तुओं पर राज्य यथा केन्द्र द्वारा लगाए गए कुछेक करों अथवा उपकरों के स्थान पर छूट की अनुमति दी जाती है। ऐसी योजनाओं के उदाहरण एमईआईएस, एसईआईएस आदि हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क व्यापार योग्य स्क्रिप के रूप में क्रेडिट की अनुमति दी जाती है। बीसीडी के भुगतान के लिए स्क्रिप के प्रयोग को गत वर्ष तक राजस्व परित्याग के रूप में माना जाता था। तथापि परिवर्तित लेखांकन पद्धति में, वास्तविक स्वरूप पर विचार करते हुए स्क्रिप के माध्यम से चुकाए गए शुल्क को अब राजस्व के रूप में माना जाता है और निर्यातकों को दिए गए इस प्रकार के शुल्क क्रेडिट की संगणना व्यय के रूप में की जाती है। संशोधित पद्धति को इस वित्तीय वर्ष से अपनाया गया है।

3. एफटीए: भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है। इसी प्रकार, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत भारत इस करार के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट माल पर कम दर/छूट के लिए बाध्य है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। सरकारी वचनबद्धताओं के रूप में दिए गए ऐसे अधिमानी प्रशुल्क ऐसे करारों में शामिल आयातों के लिए भी सामान्य रूप से लागू होते हैं।

4. अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि बिना शर्त छूटें और सरकारी वचनबद्धता के रूप में की गई छूटें वास्तव में संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का अधिकाधिक समुचित अनुमान केवल सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व होगा।

5. वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 (अनुमानित) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन : विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि के बिलों से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर आधारित होता है। आईसीईएस में दर्ज न किए गए आयातों के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन करने के लिए बर्हिवेशन किया गया है, कुल निर्यातों में आईसीईएस का हिस्सा 95% है जो वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 (अनुमानित) की अवधि के लिए है।

6.1 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 (अनुमानित) के लिए सीमा शुल्क पर कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

**सारणी I : आधारभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव**

( ₹ करोड़ )

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2020-2021)	राजस्व प्रभाव (2021-2022) (अनुमानित)
क.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार प्रशुल्क दर से कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	2,19,474	3,33,266
ख.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	1,26,637	2,31,471
ग.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	64,502	68,851
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थान (सारणी III का संदर्भ लें)	-	28,335	32,944
ङ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व - ईडीआई+गैर-ईडीआई स्थान	डीएक्स100/एफ*	29,826	34,678
च.	निविष्टि कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	79,841	49,261
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	32,947	*
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क (सीमा शुल्क टैरिफ रियायत के कारण)	ङ + छ	62,773	34,678

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी एंड प्रधान सीसीए

# एफ बहिर्वेशन कारक है जो आईसीईएस द्वारा दर्ज न किए आयातों को शामिल करने के लिए वर्ष 2020-21 और 2021-22 (अनुमानित) के लिए 95% के बराबर है।

\* देखें पैरा 2.6

6.2 वर्ष 2020-21 तथा 2021-2022 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. ग देखें) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

**सारणी -II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव**

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2020-2021)	राजस्व प्रभाव (2021-2022) (अनुमानित)
1	आसियान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	35,259	24,348
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	6,173	8,713
3	जापान से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	4,810	7,539
4.	मलेशिया से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	1,330	873
5.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अन्य तरजीही व्यापार करार, कम विकसित देशों को रियायत से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	15,403	25,163
6.	अन्य	1,527	2,216
<b>कुल</b>		<b>64,502</b>	<b>68,851</b>

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी

6.3 वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. घ देखें) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

**सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव**

( ₹ करोड़)			
क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2020-2021)	राजस्व प्रभाव (2021-2022) (अनुमानित)
1	मोबाइल फोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सामग्री को छूट के कारण (अधिसूचना सं.57/2017- सीमा शुल्क)	6,779	3,962
2	खनिज ईंधन, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं.52/2017- सीमा शुल्क)	388	1,683
3	आईटीए बाध्य सामग्री के विनिर्माण के लिए दी गई बीसीडी छूट के कारण (अधिसूचना सं. 24/2005- सीमा शुल्क तथा 25/2005 -सीमा शुल्क)	437	584
4	सार्वजनिक वित्तपोषित द्वारा अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान उपकरण को छूट के कारण (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क)	252	210
5	अन्य वस्तुओं (क्रम संख्या 1 से 4 पर यथा उल्लिखित वस्तुओं से इतर) के लिए छूट तथा सीमा शुल्क की प्रभावी दरों के कारण	20,480	26,505
<b>कुल (ईडीआई)</b>		<b>28, 335</b>	<b>32,944</b>
<b>कुल (ईडीआई + नॉन ईडीआई)</b>		<b>29,826</b>	<b>34,678</b>

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी

6.4 वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 (अनुमानित) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर सारणी में क्र.सं. च और छ का संदर्भ लें) का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

**सारणी -IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव**

( ₹ करोड़)			
क्र.सं.	स्कीम का नाम	राजस्व प्रभाव (2021-22)	राजस्व प्रभाव (2021-22) (वार्षिकीकृत)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	13,613#	11,704
2	ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	5,825#	6,574
3	ईपीसीजी	2,322#	2,862
4	एसईजेड	24,506	27,511
5	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम	628#	610
6	भारत स्कीम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात	19,267#	*
7	राज्य और केन्द्रीय कर उगाहियों की छूट	8,136#	*
8	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	5,260#	*
9	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	62#	*
10	शुल्क मुक्त पात्रता ऋण प्रमाणपत्र	34#	*
11	लक्ष्य युक्त स्कीम	188#	*
12	कुल	79,841	49,261
13	इनपुट कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर क्रम संख्या 1 से 4)	<b>46,894</b>	<b>49,261</b>
14.	निर्यात सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम रखरखाव निर्यात पर राजस्व प्रभाव (उपर क्रम सं. 5 से 9 तक)	<b>32,947</b>	*

# : वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक

\* पैरा 2.6 देखें

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी